# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवPh. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/ 6256 दिनांकः 26/12/19

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत) राजस्थान।

**विषयः— पंचायतीराज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के आम चुनाव, 2020 — चुनाव कार्यक्रम की घोषणा।**

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के लिए आम चुनाव करवाये जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। मतदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तीन चरणों में सम्पन्न होगा। चरणवार कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है। चरणवार कार्यक्रम के साथ पंचायत समिति का नाम व उनमें सम्मिलित ऐसी पंचायतों की संख्या जिनमें निर्वाचन कराया जाना है, की सूचना संलग्न है। प्रत्येक पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों की सूची आयोग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। पंच पद के लिए आम चुनाव मतपेटियों एवं सरपंच पद के लिए आम चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से कराए जाने है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता भी तुरन्त प्रभाव से लागू हो गई है। अतः आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें।

यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन एवं नवसृजन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 15/16.11.2019 के पश्चात् अस्तित्व में रही ऐसी समस्त ग्राम पंचायतें जिनकी मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन आयोग के पत्रांक 4651/04.11.2019 के अनुसार दिनांक 04.12.2019 को किया गया है एवं अंतिम प्रकाशन दिनांक 03.01.2020 को होना निर्धारित है, में ही पंच एवं सरपंच के आम चुनाव करवाए जाने हैं।

ऐसी ग्राम पंचायतें जिनकी मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 04.12.2019 को नहीं कराया जा सका था, को आम चुनाव हेतु सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

**विशेष नोट — 1. राज्य सरकार द्वारा पंचायत समितियों के पुनर्गठन के कारण ग्राम पंचायतें एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरित हुई है। यदि आप द्वारा यह पाया जाता है कि आयोग द्वारा प्रेषित किए गए चरणवार कार्यक्रम में अंकित ग्राम पंचायत का पांच वर्ष का कार्यकाल उसके आगामी आम चुनाव हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व समाप्त हो रहा है तो ऐसी ग्राम पंचायतों एवं उनके कार्यकाल समाप्ति के विवरण से आयोग को तुरन्त अवगत करावें ताकि तद्नुसार ऐसी ग्राम पंचायत को संबंधित चरण में सम्मिलित किया जा सके।**

**2. यदि आयोग द्वारा प्रेषित सूची में ऐसी कोई ग्राम पंचायत सम्मिलित होने से रह गई हैं, जिसके लिए मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 04.12.2019 को हो गया हैं एवं अंतिम प्रकाशन दिनांक 03.01.2020 को होना निर्धारित है, तो ऐसी ग्राम पंचायत को संबंधित पंचायत समिति में उसके पांच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि के अनुसार उचित चरण में सम्मिलित कर आयोग को अवगत कराते हुए उसमें चुनाव की कार्यवाही की जाए।**

संलग्नः चुनाव कार्यक्रम।

आज्ञा से,
26/12
(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/ 6257-58 दिनांकः 26/12/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

26/12/2019
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव